हेतु आदानों की सप्लाई शामिल है। आदिम जनजाति समूहों के बीच शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। आदिवासी उप योजना रणनीति के अंतर्गत इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इन समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। 1971 तथा 1981 की जनगणना के बीच तुलना करने पर यह पता चलता है कि इन समूहों की जनसंख्या में गिरावट नहीं आ रही है। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1971	1981
पहाड़ी कोरवार	13488	16860
बिरहोर	738	886

(ख) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में पहाड़ी करवार और बिरहोर सहित आदिम आदिवासी समूहों के विकासार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता में से कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई वार्षिक निर्मुक्ति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निर्मुक्त राशि (लाख रुपयों में)
1990-91	255.20
1991-92	282.92
1992-93	6785.01 (आदिम जनजाति समूहों के लिए आवंटन सहित संपूर्ण विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को निर्मुक्त कर दी गई क्योंकि वर्ष के दौरान अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया।

राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई धनराशि में से खर्च किये गये व्यय के बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ग) कल्याण मंत्रालय ने 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के पहाड़ी कोरवार के संबंध में रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किये हैं। 1992-93 में मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति समूहों के विकास संबंधी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उपलब्धियों के संबंध में एक अध्ययन करने का कार्य भारत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली को सौंप दिया गया था। इन संगठनों की रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं। मध्य प्रदेश सरकार का आदिवासी अनुसंधान संस्थान भी अपने राज्य में आदिम जनजाति समूहों के विकास के संबंध में अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर रहा है।

(छ) राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य में पहचान किये गये आदिम जनजाति समूहों के संबंध में एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तथा कार्रवाई योजना को तैयार करें जिससे आदिम जनजाति समूहों की स्पष्ट वास्तविक अवस्थिति उनकी वर्तमान आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थितियां समूहों को पेश आ रही तात्कालिक समस्याएं जिन पर शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है। समर्पित व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित प्रशासनिक प्रबंध, तथा वास्तविक लक्ष्यों के लिए वार्षिक प्रावस्था सहित वित्तीय आवश्यकता तथा प्रचालन में लचीलापन शामिल हो।

Sale of an infant for Rs. 500 in Assam

4653. SHRI VIRENDRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the newsitem appeared in Times of India dated 10th July, 1993 that at Siliguri a 38 year old women Malti Roy put her three months old boy for auction for Rs. 1500/- as she is unable to living up the child;

(b) whether she ultimately sold it for Rs. 500/-; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) in the affirmative, what steps Government are taking so that such like heart breaking senses shold not recur throughout the country?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

More funds for SC/ST Finance Development Corporation

4654. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the amount sanctioned to the National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for the year 1993-94; and the amount demanded by the Corporation;

(b) how far this amount is considered sufficient for the economic development of SC/STs on all India basis; and

(c) whether Government are going to sanction more funds; if so, by when?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Planning Commission approved an outlay of Rs. 21 crores for the financial year 1993-94 against a demand of Rs. 50 crores by National SC/ST Finance and Development Corporation.

(b) In view of the financial constraints of the Government the above mentioned amount has been sanctioned in order to accelerate the economic development of SCs/STs.

(c) The matter of increasing the outlay of National SC/ST Finance and Development Corporation has already been taken up with the Planning Commission.

डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की बैठक

4655. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 93 को डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। डा० अम्बेडकर शताब्दी संबंधी राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 1993 को सम्पन्न हुई।

(ग) यह सिफारिश की गई कि शताब्दी समारोह के दौरान मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/योजनाओं को तालिका बद्ध किया जाना चाहिए तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रगति का मूल्यांकन और इसकी समीक्षा प्रथमतः कल्याण मंत्री के स्तर पर तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रधान मंत्री के स्तर पर की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि यह देखने हेतु कुछ प्रबन्ध भी किये जाने चाहिए कि